

प्रेम्णा,

विद्यालय
संस्था

सेवा में,

प्रिंसिपल,
रा.स.द. अकादमी,
मोरादाबाद

विषय: 171 अनुभाग

तखनऊ: दिनांक: 25 मार्च 2002

विषय:-

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विद्यालयों के लिए
नियमों के अंतर्गत में विद्यालयों के लिए प्रमाण पत्र

सर्वोदय,

उपरोक्त विषय की और जानकारी के लिए प्रमाण पत्र

हमारे विद्यालयों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों में से एक को यह स्पष्ट
होना है कि प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए
संबंधित हेतु अन्याय प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अन्याय नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत संसाधनों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 50प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बसिक शिक्षा परिषद से सन्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कैम्पस फोर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 50प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सन्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

For R.S.D. Educational & Charitable Society


Manager Cum Secretary

Principals
PRINCIPAL
R.S.D. ACADEMY
(PUBLIC SCHOOL)
MORADABAD

- 15। संस्था शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनानी, जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,



पू०सं०- 298


111/15-7-तद् दिनांक


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक,
- 4- निरीक्षक अंग्रेजी विद्यालय, 3050, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक,
- 6- गार्ड बुक ।

For R.S.D. Educational & Charitable Society


Manager Cum Secretary




PRINCIPAL
R.S.D. ACADEMY
(PUBLIC SCHOOL)
MORADABAD